>

Title: Regarding formation of an Appeal Committee by Indane Gas and Petroleum Ministry to resolve the complaints against Gas Agencies.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश में बड़ी संख्या में जिन लोगों को गैस एजेंसियां मिली हैं, उनको झूठी शिकायतों के आधार पर बन्द कर दिया जाता है और उनकी सुनवाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित ऑयल कंपनियों के साथ अपील की एक समिति गठित होती है । यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि सालों से बड़ी संख्या में ऐसी गैस एजेंसियों के मामले लम्बित पड़े हैं, जिनको निलम्बित किया गया है, उनकी अपील नहीं हो पा रही है । इण्डेन गैस के बारे में मैं बता रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के एक निवासी जिसकी गैस एजेंसी मोगावली में थी, उसे जान-बूझकर बन्द कर दिया गया । उनको वह गैस एजेंसी आरक्षण की सुविधा के तहत मिली थी । जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित गैस एजेंसियां हैं, उनको जान-बूझकर झूठी शिकायतें करके बन्द कराया जाता है, लेकिन उनको अपील करने की सुविधा नहीं है । इसलिए मैं पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इण्डेन गैस तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच जो अपील समिति बनती है, उसका गठन करें । धन्यवाद ।